

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 102/2018

चायर दिनांक 02.04.2018

वादी	प्रतिवादीगण
1. राधाकिशन पुत्र स्व० मदनलाल जाति साद निवासी लोरोली खुर्द तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. सुरेश पुत्र भंवरलाल 2. नरपत पुत्र भंवरलाल 3. वीरमा पुत्री भंवरलाल 4. नरु पुत्री भंवरलाल 5. गोमा पुत्री भंवरलाल 6. गौरा पुत्री भंवरलाल 7. लिछमा पुत्री भंवरलाल 8. पूजा पुत्री भंवरलाल 9. गीतादेवी पुत्री भंवरलाल 10. रामनिवास पुत्र बजरंगदास 11. कैलाश पुत्र बजरंगदास 12. श्रवण पुत्र ओमप्रकाश 13. अनिता पुत्री ओमप्रकाश 14. सन्तोष पत्नी ओमप्रकाश 15. शिवभगवान पुत्र बजरंगदास 16. हरीराम पुत्र मदनलाल 17. चैनाराम पुत्र मदनलाल 18. हुक्मीचन्द पुत्र मदनलाल 19. वीदामी पत्नी मदनलाल 20. गोविन्द पुत्र मांगीलाल 21. रतनी पत्नी मांगीलाल समस्त जाति साद निवासी लोरोली कला तहसील डीडवाना जिला नागौर 22. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील, वादी।
2. श्री खांगाराम खिलेरी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 21 की ओर से।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 06.04.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। जो अलग अलग रहते हैं तथा कमाते खाते हैं।

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं० 102 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा व खसरा सं० 121 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा वाके सरहद लोरोली खुर्द व खसरा सं० 118 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं० 102 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं० 103 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं० 107 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं० 110 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं० 112 रकबा 10 बीघा व खसरा सं० 109 रकबा 50 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं० 118/143 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं० 187/118 रकबा 03 बिस्वा वाके सरहद लोरोली में अवस्थित है। नकल वाद के साथ पेश है।

वाद पत्र में दर्ज खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। मौके पर अलग अलग हक बंट व हिस्से है एवं मौखिक रूप से बंटवारा हो रखा है जो कि निम्न प्रकार है:-

**वादी व प्रतिवादी सं० 16 ता 19 के बंट व हक अधिकार की भूमि :-** खेत खसरा सं० 121 रकबा 16 बिघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 118/143 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा में से 10 बीघा 04 बिस्वा उत्तर दिशा की तरफ की भूमि, खसरा सं० 109 रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा आथूणी दिशा एवं खसरा सं० 103 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा उत्तरी दिशा की भूमि बंट व कब्जे काशत में आई हुई है। जो कुल रकबा 54 बीघा 17 बिस्वा है।

**प्रतिवादी सं० 01 ता 09 के बंट व हक अधिकार की भूमि :-** खेत खसरा सं० 118 में से 13 बीघा 08 बिस्वा आथूणी दिशा का सुरेश, नरपत, बिरमा, नरू, गोमा, गोरा, लिछमा, पूजा व गीता के बंट व कब्जे काशत में है।

**प्रतिवादी सं० 12 ता 14 के बंट व हक अधिकार की भूमि :-** खसरा सं० 102 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 118 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा में से 01 बीघा 04 बिस्वा पूर्वी दिशा की कुल भूमि रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा बंट में रहेगी।

**प्रतिवादी सं० 11 के बंट व कब्जे काशत में आई भूमि:-** खसरा सं० 118 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा में से 03 बीघा 08 बिस्वा पूर्वी दिशा की भूमि व खसरा सं० 103 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से 01 बीघा 03 बिस्वा पूर्वी दिशा व खेत खसरा सं० 112 रकबा 10 बीघा सम्पूर्ण कुल रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि बंट व कब्जे काशत में आई हुई है।

**प्रतिवादी सं० 15 के बंट व कब्जे काशत में आई भूमि:-** खसरा सं० 118/143 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा में से 10 बीघा 04 बिस्वा दक्षिणी भाग व खसरा सं० 118 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा में से 03 बीघा 05 बिस्वा पश्चिमी दिशा कुल रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा भूमि बंट व कब्जे में आई हुई है।

**प्रतिवादी सं० 20 व 21 के बंट व कब्जे काशत में आई भूमि:-** खसरा सं० 102 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा में से 05 बीघा 14 बिस्वा उत्तरी दिशा का व खेत खसरा सं० 107 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि व खसरा सं० 110 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा में से 03 बीघा 08 बिस्वा पश्चिमी दिशा कुल रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि बंट व हक अधिकार में आई हुई है।

सहायक कलेक्टर  
राजसूना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 102/2018  
 वायर दिनांक 02.04.2018, निर्णय दिनांक 06.04.2018  
 राधाकिशन बनाम सुरेश वगैरा।

उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में से वर्तमान खातेदार रामनिवास पुत्र बजरंगदास, कुनणी देवी के गोद पुत्र चला गया जिससे उसका उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में कोई हक अधिकार नहीं होने से इनका नाम हटाया जावे।

खसरा सं० 109 में मदनलाल पुत्र घासीराम की जगह मांगीलाल अंकित हो गया है जिसको दुरुस्त किया जाकर मांगीलाल के स्थान पर मदनलाल पुत्र घासीराम अंकित किया जावे। वर्तमान में खातेदारी में अंकित सरजु पत्नी बजरंगदास की मृत्यु हो चुकी है जिसका नाम खातेदारी से हटाया जावे।

प्रार्थना वादी है कि वादी व प्रतिवादी सं० 16 ता 19 के बंट व हक अधिकार की भूमि :- खेत खसरा सं० 121 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 118/143 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा में से 10 बीघा 04 बिस्वा उत्तर दिशा की तरफ की भूमि, खसरा सं० 109 रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा आथूणी दिशा एवं खसरा सं० 103 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा उत्तरी दिशा की भूमि बंट व कब्जे काश्त में आई हुई है। जो कुल रकबा 54 बीघा 17 बिस्वा है।

प्रतिवादी सं० 01 ता 09 के बंट व हक अधिकार की भूमि :- खेत खसरा सं० 118 में से 13 बीघा 08 बिस्वा आथूणी दिशा का सुरेश, नरपत, बिरमा, नरू, गोमा, गोरा, लिछमा, पूजा व गीता के बंट व कब्जे काश्त में है।

प्रतिवादी सं० 12 ता 14 के बंट व हक अधिकार की भूमि :- खसरा सं० 102 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 118 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा में से 01 बीघा 04 बिस्वा पूर्वी दिशा की कुल भूमि रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा बंट में रहेगी।

प्रतिवादी सं० 11 के बंट व कब्जे काश्त में आई भूमि:- खसरा सं० 118 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा में से 03 बीघा 08 बिस्वा पूर्वी दिशा की भूमि व खसरा सं० 103 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से 01 बीघा 03 बिस्वा पूर्वी दिशा व खेत खसरा सं० 112 रकबा 10 बीघा सम्पूर्ण कुल रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि बंट व कब्जे काश्त में आई हुई है।

प्रतिवादी सं० 15 के बंट व कब्जे काश्त में आई भूमि:- खसरा सं० 118/143 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा में से 10 बीघा 04 बिस्वा दक्षिणी भाग व खसरा सं० 118 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा में से 03 बीघा 05 बिस्वा पश्चिमी दिशा कुल रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा भूमि बंट व कब्जे में आई हुई है।

प्रतिवादी सं० 20 व 21 के बंट व कब्जे काश्त में आई भूमि:- खसरा सं० 102 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा में से 05 बीघा 14 बिस्वा उत्तरी दिशा का व खेत खसरा सं० 107 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि व खसरा सं० 110 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा में से 03 बीघा 08 बिस्वा पश्चिमी दिशा कुल रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि बंट व हक अधिकार में आई हुई है।

उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में से वर्तमान खातेदार रामनिवास पुत्र बजरंगदास, कुनणी देवी के गोद पुत्र चला गया जिससे उसका

सहायक कलेक्टर  
 सीधवाना (नागौर)



राजस्व-वाद, संख्या 102/2018  
दायर दिनांक 02.04.2018, निर्णय दिनांक 06.04.2018  
राधाकिशन बनाम सुरेश वगैरा।

दिशा की कुल भूमि 54 बीघा 17 बिस्वा वादी व प्रतिवादी सं० 16 ता 19 के घोषित की जाती है

वाके सरहद लोरोली के खेत खसरा सं० 118 में से 13 बीघा 08 बिस्वा आथूणी दिशा का प्रतिवादी सं० 01, 02 व 09 सुरेश, नरपत, व गीता के घोषित की जाती है।

वाके सरहद लोरोली खुर्द के खसरा सं० 102 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण, वाके सरहद लोरोली के खसरा सं० 118 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा में से 01 बीघा 04 बिस्वा पूर्वी दिशा की कुल भूमि रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा प्रतिवादी सं० 12 व 14 श्रवण व सन्तोष के घोषित की जाती है।

वाके सरहद लोरोली के खसरा सं० 118 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा में से 03 बीघा 08 बिस्वा पूर्वी दिशा की भूमि व खसरा सं० 103 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से 01 बीघा 03 बिस्वा पूर्वी दिशा व खेत खसरा सं० 112 रकबा 10 बीघा सम्पूर्ण कुल रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं० 11 कैलाश के घोषित की जाती है।

वाके सरहद लोरोली के खसरा सं० 118/143 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा में से 10 बीघा 04 बिस्वा दक्षिणी भाग व खसरा सं० 118 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा में से 03 बीघा 05 बिस्वा पश्चिमी दिशा कुल रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं० 15 शिवभगवान के घोषित की जाती है।


वाके सरहद लोरोली खुर्द के खसरा सं० 102 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा में से 05 बीघा 14 बिस्वा उत्तरी दिशा का व वाके सरहद लोरोली के खसरा सं० 107 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि व खसरा सं० 110 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा में से 03 बीघा 08 बिस्वा पश्चिमी दिशा कुल रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं० 20 व 21 के घोषित की जाती है।

खसरा सं० 109 में मांगीलाल के स्थान पर मदनलाल पुत्र घासीराम दुरुस्त किया जाता है तथा ऊपर वर्णित खसरा नम्बरान में से शेष रहे खातेदारान का नाम हटाया जाता है।


तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
राजतसिंह शेखावत  
डीडवाना (राजनीर)  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 06.04.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

  
(राजतसिंह शेखावत)  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (राजनीर)  
डीडवाना

नोट:- लोरोली खुर्द के खसरा सं० 102 रकबा 12.04 बीघा के स्थान पर खसरा सं० 102 ग्राम लोरोली रकबा 5.14 बीघा सम्पूर्ण अधिकारी सं० 20 व 21 के रहेगा।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 102/2018

दायर दिनांक 02.04.2018

वादी	प्रतिवादीगण
1. राधाकिशन पुत्र स्व० मदनलाल जाति साद निवासी लोरोली खुर्द तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. सुरेश पुत्र भंवरलाल 2. नरपत पुत्र भंवरलाल 3. बीरमा पुत्री भंवरलाल 4. नरू पुत्री भंवरलाल 5. गोमा पुत्री भंवरलाल 6. गौरा पुत्री भंवरलाल 7. लिछमा पुत्री भंवरलाल 8. पूजा पुत्री भंवरलाल 9. गीतादेवी पुत्री भंवरलाल 10. रामनिवास पुत्र बजरंगदास 11. कैलाश पुत्र बजरंगदास 12. श्रवण पुत्र ओमप्रकाश 13. अनिता पुत्री ओमप्रकाश 14. सन्तोष पत्नी ओमप्रकाश 15. शिवभगवान पुत्र बजरंगदास 16. हरीराम पुत्र मदनलाल 17. चेनाराम पुत्र मदनलाल 18. हुक्मीचन्द पुत्र मदनलाल 19. बीदामी पत्नी मदनलाल 20. गोविन्द पुत्र मांगीलाल 21. रतनी पत्नी मांगीलाल समस्त जाति साद निवासी लोरोली कंला तहसील डीडवाना जिला नागौर 22. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खतेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनांक 06.04.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री महेन्द्र खिलेरी, वकील, वादी व श्री खांगाराम खिलेरी वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 21 ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके सरहद लोरोली खुर्द के खेत खसरा सं० 121 रकबा 16 बिघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण, वाके सरहद लोरोली के खसरा सं० 118/143 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा में से 10 बीघा 04 बिस्वा उत्तर दिशा की तरफ की भूमि, खसरा सं० 109 रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा आथूणी दिशा एवं खसरा सं० 103 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा उत्तरी दिशा की कुल भूमि 54 बीघा 17 बिस्वा वादी व प्रतिवादी सं० 16 ता 19 के घोषित की जाती है

वाके सरहद लोरोली के खेत खसरा सं० 118 में से 13 बीघा 08 बिस्वा आथूणी दिशा का प्रतिवादी सं० 01, 02 व 09 सुरेश, नरपत, व गीता के घोषित की जाती है।

वाके सरहद लोरोली खुर्द के खसरा सं० 102 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण, वाके सरहद लोरोली के खसरा सं० 118 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा में से 01 बीघा

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

04 बिस्वा पूर्वी दिशा की कुल भूमि रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा प्रतिवादी सं० 12 व 14 अथवा व संशोध के घोषित की जाती है।

वाके सरहद लोरोली के खसरा सं० 118 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा में से 03 बीघा 08 बिस्वा पूर्वी दिशा की भूमि व खसरा सं० 103 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से 01 बीघा 03 बिस्वा पूर्वी दिशा व खेत खसरा सं० 112 रकबा 10 बीघा सम्पूर्ण कुल रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं० 11 कैलाश के घोषित की जाती है।


वाके सरहद लोरोली के खसरा सं० 118/143 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा में से 10 बीघा 04 बिस्वा दक्षिणी भाग व खसरा सं० 118 रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा में से 03 बीघा 05 बिस्वा पश्चिमी दिशा कुल रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं० 15 शिवमगवान के घोषित की जाती है।

वाके सरहद लोरोली खुर्द के खसरा सं० 102 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा में से 05 बीघा 14 बिस्वा उत्तरी दिशा का व वाके सरहद लोरोली के खसरा सं० 107 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि व खसरा सं० 110 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा में से 03 बीघा 08 बिस्वा पश्चिमी दिशा कुल रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं० 20 व 21 के घोषित की जाती है।

खसरा सं० 109 में मांगीलाल के स्थान पर मदनलाल पुत्र घासीराम दुरुस्त किया जाता है तथा ऊपर वर्णित खसरा नम्बरान में से शेष रहे खातेदारान का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।


बीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....  
.....खर्चा इस मुकद्वमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।

बसबा मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.04.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

  
सहायक कलेक्टर  
डी.डी.पाना (नागौर)

मुद्वई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अजीवावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प तजह राबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
गिजान			गिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही वर्ज करना चाहिये।

  
सहायक कलेक्टर  
डी.डी.पाना (नागौर)

नोट:- लोरोली खुर्द के खसरा सं० 102 रकबा 12.04 बीघा  
के अलावा खसरा सं० 102 गांव लोरोली रकबा  
5.14 बीघा संपूर्ण अधिकारी सं० 20 व 21 के रकबा

  
सहायक कलेक्टर  
डी.डी.पाना